सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

23 जुलाई, 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

सप्तदश विधान सभा | बुधवार, तिथि 23 जुलाई, 2025 ई०
पंचदश सत्र | 01 श्रावण, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।
अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

(व्यवधान)

बैठिये, नेता विरोधी दल बोल रहे हैं । भाई वीरेन्द्र जी, बैठिये । नेता विरोधी दल । मैं आपको बोलने का पूरा अवसर दूंगा ।

(व्यवधान जारी)

आवाज आ रही है ? मेरी आवाज तो ऐसे ही आते रहती है । बिना माईक के मेरी आवाज गुंज सकती है, घबराइये नहीं ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, अब शांति बनाये रखिये, बैठ जाइये । आपको बोलने का अवसर दूंगा । एक मिनट मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ ।

माननीय सदस्यगण, मैं अत्यंत पीड़ा और गहन वेदना के साथ आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ । कल इस सदन में जो दृश्य सामने आया वह न केवल हमारी लोकतांत्रिक परम्पराओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि संस्था की गरिमा और गौरव को भी ठेस पहुँचाने वाला है । विपक्ष का विरोध लोकतंत्र की आत्मा है...

(व्यवधान जारी)

शांत रहिये सुनाई पड़ेगी मेरी आवाज आपको, बिना माईक के भी सुनाई पड़ेगी इतनी आवाज बुलंद है हमारी । चिंता मत कीजिये लेकिन पहले सुनिये । आप शांत नहीं रहियेगा तो नहीं बोलने देंगे, यह कोई तरीका नहीं हुआ । नहीं आप चुप रहिये, वीरेन्द्र जी । पहले सुनिये पूरी बात ।

(व्यवधान)

विपक्ष का विरोध लोकतंत्र की आत्मा है और उसकी अभिव्यक्ति का पूरा सम्मान इस पीठ ने सदा किया है परन्तु विरोध की भाषा यदि हिंसा, शोर, तोड़–फोड़, असंवेदनशील बन जाय, ये संविधान की आत्मा से विश्वासघात बन जाता है । कल

की घटना में सभा सचिवालय के कर्मचारियों को चोट पहुँची है, ये वही लोग हैं, कर्मचारी जो वर्षों से निष्ठा से संस्था की सेवा करते आये हैं....

(व्यवधान)

वीरेन्द्र जी, आप चुप नहीं रहियेगा ? नेता विरोधी दल, आपके लोगों का क्या यह व्यवहार होगा ?

ये वही लोग हैं जो वर्षों से निष्ठा से संस्था की सेवा करते आये हैं उनकी सुरक्षा, उनकी गरिमा की रक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है ।

मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सदन विमर्श का मंच है, संघर्ष का नहीं । विचारों के टकराहट का स्थान है, हाथापाई का नहीं । यह वही सदन है जिसने बिहार की राजनीति को दिशा दी है, आदर्श स्थापित की है । आइये, हम सब मिलकर इस गरिमा को पुनर्स्थापित करें और सदन की गरिमा के अनुसार अपना व्यवहार करें । इतना ही आग्रह करता हूँ । नेता विरोधी दल, अपनी बात रखें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें समय दिया है अपने पक्ष को रखने का । अच्छा होता कि एस॰आई॰आर॰ के विषय में सभी दलों को एक–एक बार इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी बात को रखने का मौका मिलता ।

अध्यक्ष महोदय, लालू जी कहते हैं कि वोट का राज मतलब छोट का राज । संविधान में हम सब लोगों को यह अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो जाय तो उसको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे वह कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो या शक्तिशाली व्यक्ति हो या अंतिम पायदान पर खड़ा हमारा व्यक्ति हो, इस संविधान ने सबको इक्वल पॉवर दिया है समान अधिकार दिया है और महोदय, आप जानते हैं कि हमारे यहां एस॰आई॰आर॰ जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है, एस॰आई॰आर॰ का विरोध नहीं करते हैं लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था वह यह काम नहीं कर रही है इसका हम इस सदन में खंडन करते हैं और यह सच्चाई है महोदय, मतलब चुनाव आयोग का यह कहना है कि हम जो हैं, कंप्लेन मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर से अंदर आ गए हैं, ये उन्हें न्यूज के सूत्रों से मिला, शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एस॰आई॰आर॰ का चल रहा है और इलेक्शन कमीश्नर अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है ।

महोदय, वर्ष 2003 में यह ड्राइव हुआ था जब अटल जी की सरकार थी, उस समय इसको करने में एक से दो साल लगा था और अब यह जाकर हो रहा है

यानी इस बीच में वर्ष 2025 और वर्ष 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए । यानी हम मान लें कि श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वे फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अगर श्री नरेन्द्र मोदी जी का चुनाव हुआ तो वे फर्जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं या हम जितने विधायक, हम भी चुनकर आये हैं तो वह फर्जी वोटर से आये हैं तो इसका मायने क्या है महोदय ? महोदय, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे । चार चीजों को लेकर हमलोगों ने सवाल पूछा था । एक समय को लेकर के, अगर आपको कराना ही था तो फरवरी में एक नया वोटर लिस्ट आया था, अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेन था तो आप लोक सभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते, समय लोगों का बचता । वह भी इस समय जब मानसून का समय है और हमलोग भी देख रहे हैं कि कितने घर बी॰एल॰ओ॰ लोग जा रहे हैं, खुद ही कई डॉक्यूमेंट्री, हमलोगों ने वीडियो देखा है, कई निष्पक्ष, ईमानदार पत्रकारों का हमलोगों ने वीडियो देखा है कि बी॰एल॰ओ॰ खुद ही फॉर्म पर अंगूठा मार कर, साईन कर अपलोड कर रहे हैं और इसमें महोदय, इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट मांगे हैं, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे हैं । पहले बता दें कि डॉक्यूमेंट के मामले में चाहे मैट्रिक का हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है डॉक्यूमेंट के मामले में । मात्र दो–तीन प्रतिशत ही लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं । फिर भी 11 ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जो गरीब के पास नहीं हैं । क्यों नहीं आधार को जोड़ा गया ? इलेक्शन कमीशन ने आधार को लिंक किया था वोटर आई॰डी॰ से ताकि डुप्लीकेसी न हो । क्यों नहीं राशन कार्ड इनक्लूड किया जाता है ? क्यों नहीं मनरेगा कार्ड यूज करने की अनुमति दी गयी ? बल्कि यह बात सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए सलाह दी कि आप आधार कार्ड यूज कीजिये, आप राशन कार्ड इस्तेमाल करने का काम कीजिये लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फटकार और सलाह के बाद भी खुल के सामने आकर अपनी बात को नहीं रखा । 4.5 करोड़ लोग महोदय....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक मिनट । वहां से आप मोबाईल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं । पत्रकार दीर्घा में उपस्थित बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप वहां से न तो फोटो खींच सकते हैं और न वहां से वीडियो बना सकते हैं । कृपया ऐसा नहीं कीजिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हम तो अपना वीडियो लेकर डलवा ही सकते हैं न ? हम तो निकलवा ही सकते हैं न ?

अध्यक्ष : यहां तो टेलीकास्ट हो ही रहा है न लेकिन पत्रकार दीर्घा में यह अनुमति नहीं है, सब लोग इसका पालन कीजिये । बोलिये, नेता विरोधी दल ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो डॉक्यूमेंट को लेकर सवाल है । 11 ऐसे डॉक्यूमेंट जो गरीब के पास नहीं है, कहां से वह जाकर 25 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट बनवायेगा । अब तो समय भी खत्म हो गया है । 4.5 करोड़ बिहार के लोग बाहर पलायन करते हैं । राज्य सभा में हमारे सांसद द्वारा यह सवाल पूछा गया, लेबर मिनिस्ट्री जवाब देती है कि लगभग 03 करोड़ बिहार के लोग रजिस्टर्ड हैं लेबर जो बिहार के बाहर रहते हैं । नॉन–रजिस्टर्ड को आप मिला लें तो 04 करोड़ जो बिहार के लोग हैं वे बाहर रहते हैं, कोई काम के लिए जाते हैं, कुछ छोटी अवधि के लिए जाते हैं, कुछ लंबी अवधि के लिए जाते हैं लेकिन वोट देने वे बिहार ही आते हैं, अब डर है कि उन लोगों का भी नाम वोटर लिस्ट से कट जायेगा और चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला ? यह काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है, चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना । कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात आये । यहां दो उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिये कि बांगलादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यंमार का आ गया, परसो ही....

(व्यवधान)

सुन तो लीजिये । एक मिनट, अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं । ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : नहीं, अध्यक्ष महोदय । ये बिहार की जनता को बरगला रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : बहुत हल्के आदमी हैं, आप ।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री जी, बैठिये न ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : आप फिसड्डी बनाने वाले हैं । आप सूत्र के आधार पर ही क्या–क्या शब्द का उपयोग कर बिहार को लज्जित करते हैं । चुनाव आयोग का...

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है ।

(व्यवधान)

बहुत हल्कापन आप दिखाते हैं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठिये–बैठिये । आपलोग क्यों नेता विरोधी दल को कमजोर समझते हैं कि खड़े हो जाते हैं उनके पक्ष में । उनको बोलने दीजिये।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने....

(व्यवधान)

एक मिनट, बैठ जाइये ।

अध्यक्ष : अपनी पार्टी के नेता की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं, आप ही लोग शोर कर रहे हैं । बोलिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, बिना अध्ययन कर के आते हैं यही तो दिक्कत है ।

अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया है 780 पेजों का, उस 780 पेज में कोई विदेशी नेपाली, बंगलादेशी, म्यंमार घुसपैठिये का कहीं भी जिक्र नहीं है तो जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है कि कोई घुसपैठिया नहीं है....

(व्यवधान)

सुन लीजिये न ।

अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये न ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, वही विदेशी के वोट से नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए ? और आप चुनाव जीत गए ?

अध्यक्ष : नेता विरोधी दल, आप इधर देखकर बात कीजिये न । इधर देखकर बोलिये । उधर क्यों देखते हैं ।

(व्यवधान)

प्रेम जी, बैठिये । बैठे–बैठे मत बोलिये । बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नेता बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं ।

टर्न–2 / संगीता / 23.07.2025

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : एक मिनट, एक मिनट । अध्यक्ष महोदय जी, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देते हैं । बीजेपी के 52 हजार 986 पंजीकृत बी0एल0ओ0 ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए...

अध्यक्ष : आपको जो इस संबंध में कहना है कहिए न, यह आरोप–प्रत्यारोप का जगह नहीं है भईया । ये विषय वैसा नहीं है कि इसमें आरोप–प्रत्यारोप किया जाए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : बात यह है कि आज के दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना–अपना जो देता है तो उसी को न सुनने का समय है...

(व्यवधान)

सुनो, अरे सुनो न पहले ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांत रहिए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : पहले तो, पहले तो थे न...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ये तरीका होगा तो नहीं होगा, बोलने के लिए किसी को नहीं दिया जाएगा ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अब बात ये बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो, जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मुख्यमंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता मुख्यमंत्री रही और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति थी ? अगर चाहोगे, पहले क्या था और उसके बाद से जब यह 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया और सारा का सारा बीच में डेढ़–डेढ़ साल आपलोगों को भी दिया लेकिन आपलोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया, अब हमलोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे । खाली सब जो बोलते रहता है, आप बताइए कि जब भी इनलोगों का कोई काम आता है और ये बोलते हैं तो इनलोगों के हित में हम काम करते हैं तो ये सब काम...

(व्यवधान)

सुनिए, ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है, आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है और इसके बाद तो चुनाव होने वाला है तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है और हमलोगों ने कितना काम शुरू से किया है, क्या था बजट...

(व्यवधान)

सुनो, हम बता रहे हैं, पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हमलोगों ने सबके लिए किया है । आज 3 लाख से भी ज्यादा और केंद्र सरकार ने भी...

(व्यवधान)

सुनिए, केंद्र सरकार भी काफी मदद कर रही है और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी हमलोग चारों तरफ घूमकर के देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया है और एक–एक काम हमलोग कर रहे हैं । हर दिन के लिए जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ने में अंडबंड जितना बोलना है बोलते रहिए लेकिन एक बात हम कहते हैं...

(व्यवधान)

2–3 महिला यहाॅ हैं, अब ये बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था, कोई महिला को दिए थे, अरे हम ही ने फिफ्टी परसेंट किया । बैठो न, कुछ किया...

(व्यवधान)

इसकी माता थी, उसी पर न बोल रहे हो, क्या है । हमलोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, फिफ्टी परसेंट शुरू किया । 2006 से ही और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया और दूसरी बात, आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए, कुछ नहीं किए और उनके लिए भी सारा काम हमलोगों ने कर दिया तो सारे लोगों के लिए हमलोगों ने शुरू से काम किया और जब बीच में थे तो कितना ज्यादा आपलोग बड़ाई कर रहे थे और उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर–उधर नहीं थे तो छोड़ दिया ।

(व्यवधान)

अब सुनिये, छोड़िये न । जाकर चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का लेकिन हमलोगों ने जितना काम किया है और इसी को लेकर के हम सब जगह चुनाव में जायेंगे और एक–एक बात बता देंगे । पहले कुछ था, आप जानते हो, बच्चा न हो । तुम तो बहुत बच्चे न थे, जानते हो पहले पटना शहर में शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था ? कहीं जाने का रास्ता था ? ये जितने पत्रकार हैं इनलोगों को भी हम कहेंगे कि पहले कितना बुरा हाल था और 2006 से हमलोगों ने जो काम किया, इन दोनों चीजों को आपलोग याद रखिये । हम कहेंगे अब क्या जरूरत है ? हाउस में, यह आपका हाउस है और फिर जो चुनाव होगा तो उसके बाद सब हाउस में ही न रहेगा ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : देश की जनता जिसको भी जितायेगी, जो भी होगा तो इसीलिए इन दिनों इतना ज्यादा आपलोगों को बेमतलब का नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष : बैठिये । संजय जी, बैठिये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : हम फिर यही बात कहेंगे अभी जो आपका है हर किसी से जिनका जो है चुनाव कराइये वही चीज । हम तो यही कहेंगे अब कुछ अननेसेसरी करने की कोई जरूरत नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये । नेता विरोधी दल, संक्षेप में अपनी बात कहिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

अध्यक्ष : और मेरा एक आग्रह है आपसे कि जिस विषय को आपने उठाया है, उस विषय में जो–जो खामियां है उसका आप जरूर जिक्र कीजिए उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है । आरोप–प्रत्यारोप में न जाएं, बोलिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : माननीय अध्यक्ष महोदय.

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये, बैठिए ।

(व्यवधान)

और आपके कहने पर मैंने सभी दलों के नेताओं को बोलने के लिए सोचा है इसलिए आप थोड़ा संक्षिप्त कीजियेगा तो बाकी लोगों को मौका मिल पायेगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : आपकी बहुत कृपा है, महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलने दीजिए न अब ।

(व्यवधान)

आप बैठिये । बैठिये ।

श्री भाई वीरेंद्र : x x x

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वीरेंद्र जी, सीमा में रहिये आप ।

(व्यवधान)

न्हीं, यह गलत बात है, यह गलत बात है, बैठिये ।

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गए)

वीरेंद्र जी, निकाल बाहर करेंगे आपको हम । नेता प्रतिपक्ष, इनको आप मना कीजिए, इनको हम निकाल बाहर करेंगे । यह तरीका नहीं है, यह तरीका हो सकता है क्या ? यह कौन तरीका हो सकता है, सीमा में रहिये । यह कौन तरीका हो गया ?

(व्यवधान)

यह कौन तरीका है बताइये आप ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : बैठ जाइये आप ।

अध्यक्ष : नहीं तो मैं छोड़ देता हूं, मैं बंद करता हूं । नहीं, यह कैसे हो सकता है बताइये न क्या तरीका है ये ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : ये क्या बोल रहे हैं...

अध्यक्ष : ये क्या बोला इन्होंने ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : क्या जरूरत है, सब शांत हो गए ।

अध्यक्ष : नहीं, यह नहीं हो सकता है ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : बैठ जाइये, बैठ जाइए ।

अध्यक्ष : ये क्या बोल दिये बताइये आप, वीरेन्द्र जी आप क्षमा मांगिये पहले । नेता विरोधी दल, पहले आप इनसे क्षमा मंगवाइये, तब होगा ।

(व्यवधान)

नही, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा । आप क्षमा मंगवाइये पहले, यह शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइये । आप इनसे खेद प्रकट करवाइये नेता विरोधी दल ।

(व्यवधान जारी)

आप बैठिये, बैठिए ।

(व्यवधान जारी)

नेता विरोधी दल, मेरा एक आग्रह होगा...

(व्यवधान)

बैठ जाइए, आप बैठिये । आप पहले बैठ जाइए, बैठिए न आप ।

(व्यवधान जारी)

पहले बैठिये न आप । नेता विरोधी दल मेरा एक आग्रह होगा । खेद प्रकट करवाइये, कोई अपमान नहीं होगा खेद प्रकट करने में । मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ।

(व्यवधान जारी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आप एक बात समझें.....

अध्यक्ष : आप उनको कहिये खेद प्रकट करने के लिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : आपकी अनुमति से हम बोल रहे थे । ये कौन होते हैं बोलने वाले कि कौन कितना बोलेगा ।

अध्यक्ष : नहीं, उनके शब्द पर ही सारा हंगामा हुआ है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : ये आपको सलाह दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : आप उनसे कहिये कि खेद प्रकट करें ।

(व्यवधान जारी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : बैठ जाइये आप लोग । अभी हम बोल रहे हैं ।

अध्यक्ष : नेता विरोधी दल, पहले आप उनसे खेद प्रकट करवा दीजिए । आराम से सदन चलेगा, सबको बोलने का मौका देंगे हम ।

(व्यवधान जारी)

ऐसे थोड़े ही हो सकता है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह शब्द कि.... x x x

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप पहले उनसे कहिये खेद प्रकट करें....

(व्यवधान जारी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हम अपनी बात को रखेंगे न अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : आप पहले उनसे खेद प्रकट कराइये । खेद प्रकट कराइये, आपको बोलने का अवसर देंगे हम ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, बोल रहे हैं हम ।

अध्यक्ष : नहीं, यह नहीं होगा । बहुत हो गया ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : गुण्डा राज नहीं चलने देंगे । गुण्डे के विरुद्ध लड़कर के आये हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : भाई वीरेंद्र जी को कहिये खेद प्रकट करें पहले ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गए)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष (खड़े होकर) : सब लोगों से आग्रह है कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए । बैठिए अपने स्थान पर, बैठिए । बैठिए सबलोग, बैठिए । सबलोग बैठिए अपने स्थान पर ।

(क्रमशः)

टर्न–3 / सुरज / 23.07.2025

अध्यक्ष : नेता विरोधी दल, आपने भी सुना है और इन सबने सुना है....

(व्यवधान जारी)

संजय जी बैठिये, बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

बैठिये जनक जी, बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

नेता विरोधी दल जिन शब्दों का इस्तेमाल भाई वीरेन्द्र जी ने किया वह शोभनीय नहीं है । कितना बढ़िया ढंग से सदन चल रहा था, आपकी बात भी हम सुन रहे थे,

आपके आग्रह पर सब नेता का बोलने का भी तय किया हमने और तब इस प्रकार की बात बोलकर क्यों हंगामा खड़ा कराना चाहते हैं । सदन तो विमर्श का विषय है न...

(व्यवधान)

अब शांत रहिये न । मेरा आग्रह है खेद प्रकट करना सदन में कोई पहली बार नहीं है, कई बार हमलोगों ने भी खेद प्रकट किया है, मंत्री के नाते भी खेद प्रकट किया है । अगर कोई बात भूलवश निकल गया है तो कह देने में कोई आपत्ति की बात नहीं है । मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि उनको कहिये एक बार खेद प्रकट कर दें और बात समाप्त हो जायेगी। इतना ही आग्रह है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, यहां कोई भी बोलता है तो आपकी अनुमति से बोलता है लेकिन अगर कोई सलाह दे आपको तो यह भी हमसे देखा नहीं जाता । अगर हमारे पक्ष के किसी सदस्य के द्वारा अगर किसी को किसी बात से ठेस लगी है तो उसका दुख मत मानिये, ऐसी कोई बात ही नहीं है ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, बैठ जाइये । हम यहां...

(व्यवधान)

हम यहां...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिये न, बैठिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हम यहां चर्चा कर रहे हैं 14 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट से नाम न कटे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये न, बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

निर्णय हम करेंगे कि आप करियेगा ?

(व्यवधान जारी)

निर्णय हम करेंगे कि आप करियेगा ? बोलिये । मंत्री महोदय, पहले आप बैठिये, बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

आप बैठिये मंत्री महोदय ।

(व्यवधान जारी)

बैठियेगा कि नहीं बैठियेगा ? बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

यह हम निर्णय करेंगे कि आप करियेगा ? बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

आप हंगामा कराना चाहते हैं उप मुख्यमंत्री होकर ? मैं कह रहा हूं कि बैठिये आप।

(व्यवधान जारी)

आप पहले बैठिये । बैठिये अपने स्थान पर, बैठिये । सदन मैं चलाऊंगा आप नहीं। बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

माननीय नेता विरोधी दल, मैंने पहले भी कहा है आपको कि इस सदन में पहली बार..

(व्यवधान जारी)

शांत रहिये, शांत रहिये न भाई ।

(व्यवधान जारी)

अब सदन की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

XXX आसन के आदेशानुसार अंश विलोपित ।

टर्न–4 / मुकुल / 23.07.2025

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

(व्यवधान)

शांत रहिये, टोका–टोकी नहीं कीजिए ।

अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

(इस अवसर पर विपक्ष के कई माननीय सदस्य वेल में आ गये)

(व्यवधान जारी)

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हो।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह जी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक के जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह जी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

आप सभी लोग अपने–अपने स्थान पर जाइये । वेल में कही गयी कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी । पोस्टर हटाइये, कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी, आप सभी लोग अपने–अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा के द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

अजीत बाबू, बोलिये । अजीत शर्मा जी का माइक ऑन कीजिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री अजीत शर्मा : X X X

(प्रवर समिति का प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं ।

आप सभी लोग अपने–अपने स्थान पर जाइये, अपने स्थान पर जाकर बैठिए, सदन को चलने दीजिए । ये सारे प्रस्ताव, सारे बिल जनता के हित के लिए हैं, जनता के हित के काम में आप बाधा नहीं उत्पन्न कीजिए, आप सभी माननीय सदस्य हैं बाधा उत्पन्न मत कीजिए ।

(व्यवधान जारी)

खंड–2 में दो संशोधन है ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

मूव नहीं करेंगे ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये ।)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

नाम इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में कृषि रोडमैप अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है । बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर की स्थापना बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के द्वारा की गयी है । वर्ष 2006 के बाद बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, डुमरावं कृषि महाविद्यालय एवं नूरसराय, नालंदा में उद्यान महाविद्यालय स्थापित किया गया है । वर्ष 2021 में राज्य सरकार के द्वारा पटना में व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, आरा में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय तथा सबौर जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है । इस प्रकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण कृषि, शिक्षा एवं अनुसंधान का दायरा काफी बृहत हुआ है । महोदय, आज सभी तकनीकी संस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में एन0डी0ए0 सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ए0एन0एम0/जी0एन0एम0 कॉलेज, आई0टी0आई0 अब तो मेडिकल कॉलेज भी पूरे बिहार के हर जिले में खुल गया है और अब कृषि के क्षेत्र में जहां हमारे 76 परसेंट आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है और 93 परसेंट लघु सीमांत किसान हैं, छोटे–छोटे किसानों के बाल–बच्चे भी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के अंदर पढ़कर, जानकारी लेकर अपने एग्रीकल्चर में परंपरा और नयी तकनीक के साथ हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं । आज गुणवत्तापूर्ण कृषि, शिक्षा एवं अनुसंधान का दायरा काफी बृहत हुआ है । बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की अध्याय–2 की धारा 7(11) में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से शिक्षण, शोध एवं विस्तार शिक्षा के पदों का सृजन करना एवं ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना तथा धारा–7(12) में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रशासनिक और अन्य पदों का सृजन करना, ऐसे पदों पर व्यक्तियों के नियुक्ति का प्रावधान है । बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के द्वारा की गयी नियुक्तियों के कारण विभाग को लगातार शिकायत पत्र, ईमेल के माध्यम से परिवाद मौखिक रूप से अभ्यर्थी एवं अन्य माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं । जिससे नियुक्ति की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता पर प्रश्न उठता रहा है और जब राज्य सरकार के पास नियुक्ति की सक्षम एजेंसी है तो फिर बाहर के एजेंसी से हम भ्रष्टाचार को, करप्शन को बढ़ावा देने के वातावरण को खत्म करने के लिए ये कदम उठाये हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और सहमति से कि बिहार में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, इस तरह की बहाली कहीं न कहीं प्रतिभा का हनन करता है और प्रतिभावान लोग इससे हताश और निराश होते हैं । अतः राज्य सरकार द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के अध्याय–2 की धारा–7(11) एवं (12) में संशोधन को आवश्यक समझा गया । इस संशोधन से नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, विवाद मुक्त और विश्वसनीय हो सकेगी, जिससे योग्य अभ्यर्थियों के साथ किसी भी

प्रकार के अन्याय पर रोक लगेगी । निश्चित रूप से इस संशोधन से राज्य में कृषि, शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को संरक्षित और संवर्धित करने में मदद मिलेगी । महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन में प्रस्ताव करता हूं कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन, 2010 को जो आज लाया गया है और महोदय, हम एक जानकारी भी आपको दे देना चाहते हैं कि आज खरीफ और रबी फसल ये वर्षों से चल रहा था, हिन्दी में खरीफ का अर्थ है शारदीय और रबी का वासंतिक तो अब शारदीय फसल और वासंतिक फसल का भी शुभारंभ बिहार के अंदर हमलोगों ने किया और किसानों के अथक परिश्रम और सरकार के द्वारा चलायी जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ अंतिम छोड़ पर खड़े किसानों तक पहुंचाने एवं आपदा की घड़ी में किसानों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित सहायता उपलब्ध करने का यह परिणाम है कि 2004–2005 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 79 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2023–24 में 231 लाख मीट्रिक टन हुआ है, यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़ी उपलब्धि है । आज चौथा कृषि रोडमैप का यह परिणाम है कि आज हम कई गुणा उत्पादन कर रहे हैं, कुल खाद्यान्न उत्पादन में 192 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी है । कुल खाद्यान्न का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2004–05 में 12.11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था जो बढ़कर 2023–24 में 33.86 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया है । महोदय, इस प्रकार उत्पादन में हमने 179 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और बिहार कृषि के क्षेत्र में दूसरे राज्य के लिए एक नये मानक के रूप में और लोग सराहना कर रहे हैं ।

क्रमशः

टर्न–5 / यानपति / 23.07.2025

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, तृतीय पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष–2024–25 में अभी तक 222.68 लाख टन कुल खाद्यान्न उत्पादन दर्शाया गया है जो अंतिम आकलन में गत वर्ष से अधिक होने की संभावना है । आज चावल के क्षेत्र में, गेहूं के क्षेत्र में और मक्का के क्षेत्र में एक नये रिकॉर्ड को हमने स्थापित किया है । बागवानी फसलों के क्षेत्र में हमारी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । महोदय, वर्ष–2012 तक बिहार में मखाना की खेती लगभग 13 हजार हे0 में होती थी जिसकी उत्पादकता 16 क्विंटल प्रति हे0 थी । मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत मखाना का क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिससे मखाना की खेती के रकवा में बढ़ोत्तरी हुई । 2019–20 में मखाना विकास योजना प्रारंभ की गयी जिसमें मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा द्वारा विकसित स्वर्ण वैदेही तथा भोला पासवान शास्त्री कृषि

महाविद्यालय द्वारा विकसित सबौर मखाना प्रभेद को प्रत्यक्षण के माध्यम से बढ़ावा दिया गया और वर्तमान में मखाना की खेती 35224 हे0 में की जा रही है । महोदय, भारत सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मखाना को अंतर्राष्ट्रीय फूड में, जिस तरह से उन्होंने लोगों के बीच इसको पहुंचाया और मखाना बोर्ड की घोषणा के बाद बिहार के किसानों के मन के अंदर एक नये उत्साह और हमारे युवा किसान आज इसकी ओर आकर्षित भी हो रहे हैं । आज किसान कल्याण संवाद हर जिले के अंदर और युवा किसान को सम्मान यह वातावरण हमारे नौजवानों को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मशरूम के क्षेत्र में, शहद के क्षेत्र में एक नया रोजगार का अवसर उत्पन्न कर रहा है । महोदय, आज राज्य सरकार के प्रयास से बिहार के कृषि धरोहरों कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, मिथिला मखान तथा मर्चा धान को भौगोलिक सूचकांक किया गया है । केला के पारंपरिक प्रभेद पटना के दीघा मालदह, शाहाबाद के सोनाचूर्ण चावल को जी0आई0 टैग करने की कार्रवाई आरंभ की गई है । महोदय, बीज की महत्ता को देखते हुए शाहाबाद के किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त प्रामाणिक बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष–2005 में बिहार राज्य बीज निगम को पुनः क्रियाशील किया गया । इसके साथ ही 2006–07 में सभी 241 राज्यीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों पर आधारित बीज उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है । महोदय, 2004–05 से पूर्व धान का बीज प्रतिस्थापन दर 11 प्रतिशत था जो बढ़कर 2024–25 में 50.91 प्रतिशत हो गया है । इसी प्रकार वर्ष–2004–05 में गेहूं के बीज उत्पादन की दर 12 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 46.32 प्रतिशत, मक्का के बीज प्रतिस्थापन की दर 50 प्रतिशत थी जो बढ़कर 100 प्रतिशत और दलहन का बीज प्रतिस्थापन दर 2004–05 में 5.83 प्रतिशत था जो बढ़कर 2024–25 में 46.75 प्रतिशत, तेलहन का बीज प्रतिस्थापन 30 प्रतिशत था जो बढ़कर 2024–25 में 90.26 प्रतिशत हो गया ।

महोदय, आपके माध्यम से इस सदन में मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को सर्वसम्मति से पारित किया जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हुआ ।

''बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक, 2025''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ।

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करती हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक, 2025 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतः सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक, 2025 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–3 में 3 संशोधन हैं ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–4, 5, 6 एवं 7 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–4, 5, 6 एवं 7 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–4, 5, 6 एवं 7 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–8 में 3 संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–8 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–8 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–9 से 18 तक कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

‘‘खंड–9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एवं 18 इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एवं 18 इस विधेयक के अंग बने।

खंड–19 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

‘‘खंड–19 इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–19 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

‘‘खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

‘‘प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

‘‘नाम इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न–6 / अंजली / 23.07.2025

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : मैं प्रस्ताव करती हूं कि

‘‘बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।’’

अध्यक्ष : आपको कुछ बोलना है तो बोलिए ।

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : जी महोदय ।

राज्य में पशुओं की उत्पादकता एवं अन्य विशेषताओं/लक्षणों में सुधार हेतु बिहार प्रजनन नीति के अनुसार पशुओं में प्रजनन के उपयोग सहित पशुओं में सीमेन और भ्रूण का उत्पादन, भंडारण, विक्रय और वितरण एवं कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं और उससे संबधित मामलों के लिए पशुओं में प्रजनन संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए यह विधेयक है ।

मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि ये नियम लाकर आज बहुत बड़ा काम हुआ है । हमारा बिहार जो है, वह गांवों का राज्य है और हमारे गांव में पशुओं का जो सबसे बड़ा संचालन होता है इसमें होता है कि हमेशा बाहर के लोग आकर गलत–सलत कर देते हैं लेकिन इस नियम से हमारे यहां सभी नवयुवकों को रोजगार भी मिलेगा, उनको सीखने के लिए भी मिलेगा और उनके साथ–साथ वह लाइसेंस के साथ में काम करेंगे, कभी भी वह दो नंबर धंधा नहीं कर सकता है, अगर कोई करता है तो उसपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी इसमें प्रावधान बना हुआ है । इसलिए पशु प्रजनन विनियमन का जो विधेयक है वह बहुत ही जरूरी है और जनमत संबंधित सूचना के लिए इस विधेयक के संबंध में मैं जनमत जानने हेतु विभाग की वेबसाइट पर 19.07.2024 से 02.11.2024 तक यह रखा गया है, अगर जनमत का भी, उनकी वह इच्छा प्रकट करें तो दे सकते हैं और यह हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ, हम इसको आधुनिक ढंग से हर जगह अपने सभी अनुमंडल अस्पताल से लेकर जिला अस्पताल तक लगातार इसमें मॉनिटरिंग भी हमारी है, कमेटी भी है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और इसकी देखभाल के लिए, मॉनिटरिंग के लिए हमारा विभाग तत्पर है । यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं ।

इसलिए इस विधेयक को हमें स्वीकृति देने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक, 2025 स्वीकृत हुआ ।

''जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक के जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं ।

खंड– 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड– 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड– 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : खंड–11 में दो संशोधन हैं ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–11 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–11 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 एवं 44 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 एवं 44 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 एवं 44 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड–45 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–45 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–45 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री :

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 स्वीकृत हो।''

अध्यक्ष : आप अपना विचार व्यक्त करिए ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय–जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम आज पहली बार, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आज से 46 वर्ष पहले जब इस सदन के सदस्य होंगे और एक मंत्री के रूप में और एक सदस्य के रूप में इस सदन में बैठते होंगे और डिसीजन बिहार के युवाओं के प्रति लेते होंगे या निर्णय लेना होता होगा तो श्रद्धेय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मन में एक होता था, उनका नारा था कि शिक्षा से ही समाज परिवर्तन कर सकते हैं, प्रदेश का परिर्वतन कर सकते हैं, प्रदेश विकसित बना सकते हैं, समाज विकसित बना सकते हैं ऐसी उनकी सोच थी । हम धन्यवाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री

आदरणीय श्री सम्राट चौधरी और आदरणीय विजय सिन्हा जी को कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को 46 वर्ष के बाद इसी सदन में बिहार के युवाओं की सोच के प्रति जो उनकी कल्पना थी, उनकी जो संवेदनशीलता थी बिहार के प्रति, बिहार के युवाओं के प्रति वह 46 वर्ष के बाद इस सदन में कोई पूरा करने का काम किया है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का वह माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं और माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं ।

अध्यक्ष महोदय, जिस सोच के साथ स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना सरकार ने जो निर्णय लिया है बिहार में करने के लिए, यह सिर्फ ईंट और पत्थर का बना एक चहारदीवारी नहीं रहेगा, एक अध्यापक के रूप में स्किलिंग करने वाला एक छोटा सा कमरा 50 बेंच वाला नहीं रहेगा । यह जो स्किल यूनिवर्सिटी है वह बिहार के रिलेशन से, बिहार के प्रमोशन से, बिहार के इमोशन से जुड़ा हुआ है ।

(क्रमश :)

टर्न–7 / पुलकित / 23.07.2025

(क्रमशः)

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा बच्चे हैं उनका एक डाटा है कि बिहार के 14 करोड़ पॉपुलेशन में 60 प्रतिशत मेरे युवा ऐसे हैं जो 40 वर्ष से कम उम्र के हैं । सबको रोजगार और नौकरी का अवसर प्रदान हो, सरकार सब के लिए कृत संकल्प है । यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, बिहार के युवाओं के बीच में कि अब उनको, मेरे बच्चे बिहार से जब अननेसेसरी बाहर जाते हैं अपने रोजगार के अवसर के लिए तो उनको अननेसेसरी ह्रासमेंट किसी ब्रोकर के माध्यम से, किसी एजेंट के माध्यम से जाना पड़ता है । बिहार के आने वाले समय के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है स्कील यूनिवर्सिटी के रूप में कि मेरे बच्चे यहां मार्केट की जो डिमांड है और हम परम्परागत शिक्षा पढ़ाते आये हैं । हम कई ट्रेडों की शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा डिप्लोमा के माध्यम से, डिग्री के माध्यम से, इंजीनियरिंग के माध्यम से, के0वाई0पी0 सेंटर के माध्यम से, आई0टी0आई0 के माध्यम से, डोमेन स्किल के माध्यम से कई तरह की शिक्षा हम परम्परागत शिक्षा देते आये हैं लेकिन आज वैश्विक पटल पर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है पूरे भारत, पूरे विश्व की उस डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमें एक मार्केट के रिक्वायरमेंट के अनुसार सब्जेक्ट एक्सपर्ट और दक्षता की जरूरत है । मेरे बच्चे मार्केट के अनुरूप अगर स्किल्ड होंगे, शिक्षित होंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे तो उनको रोजगार का अवसर मिलेगा और

बिहार का नाम ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना नाम प्रदर्शित कर सकेंगे और सोच बिहार का प्रदर्शन कर सकेंगे । इसलिए यह जरूरी था यह यूनिवर्सिटी बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के भले के लिए और बिहार के हमारे युवा जब स्किल्ड होंगे, जब उनको रोजगार मिलेगा तो बिहार की इकॉनोमी में भी बहुत बड़ी इनकी भागीदारी होगी । अपने बिहार के युवाओं को हमें यह कहने में हिचक नहीं कि अगर विकसित बिहार की कल्पना हम सोच रहे हैं, विकसित बिहार की हम कल्पना जब हम देख रहे हैं तो उसमें बिहार के युवाओं की भागीदारी नहीं रहे, बिहार के हमारे बच्चे स्किल्ड नहीं रहे, बिहार के हमारे बच्चे नई–नई मार्केट के अनुसार डिजिटली प्लेटफॉर्म पर अपनी स्किलिंग क्षमता, अपनी स्किलिंग दक्षता प्रदर्शित नहीं कर सके तो हम विकसित बिहार की कल्पना नहीं देख सकते ।

हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी को बिहार के युवाओं की तरफ से, बिहार के 14 करोड़ लोगों की तरफ से उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आज स्किल यूनिवर्सिटी इस सदन में बिहार के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन होगा । इसीलिए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए, उनकी उज्ज्वल कामना के लिए सदन में उपस्थित सभी हमारे माननीय सदस्यगण से भी और जो सदस्य चले गये कुछ लोग जो हमारे सदस्य बोल रहे थे कि गुजर गये, गुजर नहीं गये, चले गये वे लोग तो चले गये वैसे भी हमारा माननीय सदस्य से आग्रह था कि बिहार के युवाओं के हित को देखते हुए सर्वसम्मति से इस बिल को पास किया जाए, स्वीकृति प्रदान की जाए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 स्वीकृत हुआ।

माननीय मंत्री जी तीन विधेयक और है आपके, थोड़ा संक्षेप में अपना वक्तव्य दीजियेगा ।

(व्यवधान)

आगे से ख्याल रखने के लिए कह रहे हैं ।

बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक, 2025

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक, 2025 पर विचार हो।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है।

क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक, 2025 पर विचार हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड– 2, 3, 4 एवं 5 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड– 2, 3, 4 एवं 5 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड– 2, 3, 4 एवं 5 इस विधेयक के अंग बने ।

खंड–6 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड–6 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–6 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–7 से 38 तक कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड–7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 एवं 38 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 एवं 38 इस विधेयक के अंग बने ।

खंड–39 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड–39 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–39 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

हां बोलते रहिये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।"

अध्यक्ष महोदय, जो एग्रीगेटर वर्कर हैं, एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म आधारित वर्कर हैं जिसको हमलोग देहात में डिलीवरी बॉय भी कहते हैं । ऑनलाईन उनको डिलिवरी के लिए भेजा जाता है और लोग ऑनलाईन पेमेंट करते हैं और वे डिलीवरी बॉय आकर के अपना सामान देते हैं । उनके लिए मेरे यहां सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई एक्ट नहीं था । मेरे यहां जैसे बी0ओ0सी0डब्लू0 बोर्ड था तो हमलोगों ने, सरकार ने एक प्रस्ताव लाया है कि वैसे गिग वर्कर जो एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म पर जो काम करते हैं उसके लिए एक बोर्ड बनाकर और उनका पंजीयन कराकर, उनका सोशल सिक्योरिटी और कई तरह की योजना दुर्घटना में जो मृत्यु हो जाए तो उनको 4 लाख रुपये या ऐसे नॉर्मल मृत्यु हो जाए तो 2 लाख रुपये । अगर पति, पत्नी पहला प्रसव में 90 दिन का मिनिमम वेज 37.5 हजार रुपये प्रदान किये जाए और हेल्थ कवर के लिए भी कई इसमें हम लोग योजना लाये हैं ताकि मेरा जो प्लेटफॉर्म आधारित जो गिग वर्कर हैं उनको भी सोशल सिक्योरिटी प्रदान हो सके । इसलिए मैं सदन से चाहूंगा कि इस गिग वर्कर को सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए इस विधेयक को सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की जाए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक, 2025 स्वीकृत हुआ ।

टर्न–8/अभिनीत/23.07.2025

बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) विधेयक, 2025

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) विधेयक, 2025 पर विचार हो ।"

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

<u>प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) विधेयक, 2025 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 से 10 तक कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 से 10 तक इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–2 से 10 तक इस विधेयक के अंग बने ।

खंड–11 में दो संशोधन हैं । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ।

(संशोधन मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(संशोधन मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–11 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–11 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–12 से 31 तक कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–12 से 31 तक इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–12 से 31 तक इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।"

अध्यक्ष महोदय, बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) विधेयक, 2025 का मुख्य उद्देश्य राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों को नियोजित कामगारों के रोजगार संबंधी नियमों, सेवा–शर्तो तथा कल्याणकारी प्रावधानों को एकत्रित कर संशोधित करना है ।

मौजूदा विधेयक पुराने बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 को रद्द करते हुए नया ढांचा प्रस्तुत करता है । इससे रोजगार, सुरक्षा, कार्य की शर्तें, वेतन अदायगी, छुट्टियां और कल्याणकारी सुविधाओं से व्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित हो सके ।

वर्तमान अधिनियम केवल नगर निकाय क्षेत्रों में लागू था जबकि प्रस्तावित विधेयक संपूर्ण राज्य में लागू होगा । इससे अब राज्य भर के कामगार लाभान्वित होंगे । वर्तमान अधिनियम शून्य कामगारों वाले, पहले हमलोग जो शॉप/प्रतिष्ठान स्थापित करते थे उनके लिए या तो श्रमिक की आवश्यकता भी नहीं होती थी क्योंकि लेबर लाइसेंस लेना पड़ता था । अब हमलोग जीरो से नौ ऐसे प्रतिष्ठान, ऐसे शॉप जिनको ओपनिंग करना है और नौ से नीचे अगर श्रमिक लगते हैं तो उनको अब लेबर लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है । वह विदाउट लेबर लाइसेंस दुकान और प्रतिष्ठान स्थापित कर सकते हैं, खोल सकते हैं । नये विधेयक के अनुसार दुकान और प्रतिष्ठान श्रम कानूनों का पालन करते हुए 24x7 खोल सकते हैं । अब कामगार केवल बैंक खाते में, पहले 1953 में जो एक्ट बना था उसमें श्रमिक को पेमेंट करने का कोई डायरेक्शन नहीं था । कैश भी दे सकता था, कम भी दे

सकता था, नहीं भी दे सकता था, शोषण भी करता होगा ? हमलोगों ने, सरकार ने लायी है कि अब आप श्रमिक रखिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन बनाकर देना होगा अपने दुकान का और उसका पेमेंट खाते में करना होगा, एकाउंट पेमेंट करना होगा ।

इसलिए श्रमिकों के हित को देखते हुए, श्रमिकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो इसका ख्याल भी इस नये अधिनियम में रखा गया है ।

अतः अनुरोध है कि बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) विधेयक, 2025 पर सदन अपना समर्थन दे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) विधेयक, 2025 स्वीकृत हुआ ।

कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2025

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हो।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का

प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–3 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–4 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–5 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–5 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–5 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

टर्न–9 / हेमन्त / 23.07.2025

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो।''

अध्यक्ष महोदय, कारखाना अधिनियम, 1948 के कार्य के घंटों में लचीलापन और अपराधों के शमन के उद्देश्य से यह संशोधन प्रस्ताव रखा गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : झुक कर जाइये ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : इस संशोधन के उपरांत राज्य में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के साथ–साथ कामगारों को भी फायदा होगा। अभी के अनुसार कारखानों में कामगार सप्ताह में 6 दिन अधिकतम दैनिक 9 घंटे प्रतिदिन और साप्ताहिक कुल 48 घंटे तक कार्य करते थे। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार नियोजन कामगार की सहमति से साप्ताहिक 48 घंटे को स्थिर रखते हुए प्रतिदिन 10 घंटे की दर से सप्ताह में 5 दिन अथवा 11.5 घंटे की दर से 7 दिन कार्य कर सकते हैं। सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य लेने पर ओवरटाईम का भुगतान करना होगा। यह संशोधन प्रस्ताव कामगारों के स्वास्थ्य पर बिना प्रभाव डाले न केवल राज्य की उत्पादकता को बढ़ायेगा, बल्कि कामगारों को भी ओवरटाईम के माध्यम से अधिक आय सृजन करने का अवसर प्रदान करेगा। इन सबके कारण अंततः राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में काफी वृद्धि होगी।

अतः सदन से अनुरोध है कि कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2025 सर्वसम्मति से पास करने की कृपा की जाय।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हुआ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह तो 17वीं विधान सभा का अंतिम विधेयक है जिसको इस विधान सभा ने पारित किया है। यह अंतिम विधेयक भी पास कराने के लिए आसन का बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : धन्यवाद आप सबका। आप सबके सहयोग के कारण ही यह सब संभव हो पाता है।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार राजभाषा संवर्ग नियमावली, 2014 बिहार प्रमंडलीय राजभाषा संवर्ग नियमावली, 2014, बिहार प्रमण्डलीय राजभाषा संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 एवं बिहार राजभाषा प्रकाशन संवर्ग नियमावली, 2014 की एक–एक प्रति को सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के नियम–30(3) के तहत ''बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2005'' की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक–एक प्रति को सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, मैं बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2025, बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग नियमावली, 2025, बिहार परिधापक संवर्ग नियमावली, 2024 एवं बिहार दंत स्वास्थ्य विज्ञानी संवर्ग नियमावली, 2025 की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, विधि विभाग।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, मैं विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा–18(6) के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वित्तीय वर्ष 2022–23 का वार्षिक लेखा की प्रति को सदन पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–16 (च) के तहत बिहार राज्य खाद्य आयोग के 2024–25 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखती हूं।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–395 के तहत् बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–395 के तहत् बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010 एवं 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पर्यटन विभाग।

श्री राजू कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–395 के तहत् बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2015–2016 का 35वाँ वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह), सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–211 के तहत बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड से संबंधित समिति का 228वां प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

सभापति, अल्पसंख्यक कल्याण समिति।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्यगण, आज 23 जुलाई, 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या–60 है। अगर सदन की सहमति हो, तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही वृहस्पतिवार, दिनांक 24 जुलाई, 2025 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।